

श्रीमान जी,

2022/50

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बंद वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री पृथ्वी राम पुत्र पुरखा राम जाति नायक निवासी 13 एलएनपी सैकिण्ड तहसील व जिला ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी को गवाह श्री भूरा राम पुत्र भैरा राम एवं श्रवन कुमार पुत्र पुरखा राम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाह की पहचान श्री रजनीश जोशी, अधिवक्ता, श्रीगंगानगर, ने की।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Kat
17/12/22

जिला पंजीयक महोदय

6
21/12/22